0/c

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक: 133 /अका./2015 रायपुर, दिनांक: 30/12/2015

प्रति,

संचालक/प्राचार्य
रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन,
सुंदर नगर, रायपुर,
जिला – रायपुर (छ.ग.)

विषय: परिनियम 28 के तहत प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन।
संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक निरंक दिनांक निरंक.

आपके महाविद्यालय में विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत् विषयांकित हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा दिनांक 15.10.2015 को आयोजित साक्षात्कार में अनुशंसित उम्मीदवार की नियुक्ति का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15.12.2015 में निम्नानुसार किया गया है :–

पदनाम	चयनित उम्मीद्वार का नाम	वेतनमान
प्राचार्य/विभागाध्यक्ष	**Dr. Sanjit Kumar Sahu**	**यू.जी.सी. के छठवें वेतनमान के अनुसार देय होगा।**

उक्त चयनित उम्मीद्वार की नियुक्ति, पत्र निर्गमन की तिथि या उसके बाद की तिथि से मान्य होगी। प्राचार्य/विभागाध्यक्ष की नियुक्ति पांच वर्ष के लिए की जाएगी। पांच वर्ष पश्चात् शासी निकाय यदि कार्यकाल में वृद्धि करना चाहे तो, इन्हीं चयन समिति द्वारा अनुमोदन कर पुनः एक अवसर पांच वर्ष के लिए दिया जा सकेगा। नियुक्ति आदेश 01 माह के अंदर रजिस्टर्ड डॉक से संबंधित चयनित उम्मीदवार को भेजें जिसमें वेतनमान का स्पष्ट उल्लेख हो तथा इसकी सूचना तत्काल विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

परिनियम 28(31)(3) के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् के अनुमोदन के बिना नियुक्त प्राचार्य/विभागाध्यक्ष को सेवा से पदच्युत नहीं किया जा सकेगा।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक: 134 /अका./2015 रायपुर, दिनांक: 30/12/2015
प्रतिलिपि :

01. उपरोक्त चयनित उम्मीद्वार को ।
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
03. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप कुलसचिव (अका.)